रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 808] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 2, 2003/भाद्र 11, 1925

No. 808] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 2, 2003/BHADRA 11, 1925

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 2 सितम्बर, 2003

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003

का.आ. 1014(अ).— बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2003 कहा जा सकेगा ।

2. वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 (इसमें इसके पश्चात् 'विनियम' के रूप में निर्दिष्ट) में, -

(क) विनियम 53 के पश्चात्, निम्नलिखित नये विनियम अंत:स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् -

" 53क. **शेयर रजिस्ट्री कार्य के प्रबंधन की रीति -** प्रतिभूतियों के अंतरण, प्रतिभूतियों

के धारकों के अभिलेखों को रखने, भौतिक प्रतिभूतियों के प्रबंधन और निक्षेपागारों के साथ संयोजकता स्थापित करने से संबंधित समस्त मामलों को एक स्थल पर अर्थात् या तो आंतरिक रूप से निर्गमकर्ता द्वारा या बोर्ड के पास रजिस्ट्रीकृत शेयर अंतरण अभिकर्ता द्वारा प्रबंधित और बनाये रखा जायेगा ।

53ख. **निवेशक शिकायतों को दूर करना -** प्रत्येक निर्गमकर्ता या इसका अभिकर्ता या कोई व्यक्ति जो इस अधिनियम के अधीन मध्यवर्ती के रूप में रजिस्ट्रीकृत है, शिकायत की प्राप्ति की तारीख के तीस दिनों के भीतर हिताधिकारी स्वामियों की शिकायतों को दूर करेगा और निक्षेपागार को इसके द्वारा दूर की गई शिकायतों की संख्या तथा प्रकृति और इसके समक्ष लंबित शिकायतों की संख्या के बारे में सूचित रखेगा । "

(ख) विनियम 54 में, उप-विनियम (4) निम्नलिखित उप-विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

" 54(4). सहभागी, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रतिभूति के प्रमाणपत्र की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर निर्गमकर्ता को उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट ब्यौरे प्रतिभूति के प्रमाणपत्र के साथ देगा । "

(ग) विनियम 54 में, उप-विनियम (5) निम्नलिखित उप-विनियम द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् -

" 54(5). सहभागी से प्रतिभूति के प्रमाणपत्र की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर निर्गमकर्ता निक्षेपागार को पुष्टि करेगा कि उक्त प्रमाणपत्र में समाविष्ट प्रतिभूतियों को स्टॉक एक्सचेंज या एक्सचेंजों जहाँ पहले निर्गमित प्रतिभूतियाँ सूचीबद्ध हैं में सूचीबद्ध कर लिया गया है और सम्यक् सत्यापन के पश्चात् तुरंत प्रतिभूति के प्रमाणपत्र को विकृत और रद्द भी करेगा और इसके अभिलेख में निक्षेपागार के नाम को रजिस्ट्रीकृत स्वामी के रूप में प्रतिस्थापित करेगा और इस भाव का प्रमाणपत्र निक्षेपागार को और प्रत्येक स्टॉक एक्सचेंज जहाँ प्रतिभूति सूचीबद्ध है को भेजेगा ।

परंतु यह कि असूचीबद्ध कंपनियों के मामले में समस्त स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ पहले निर्गमित शेयर सूचीबद्ध हैं में सूचीबद्धता की शर्त लागू नहीं होगी । "

(घ) विनियम 55 के पश्चात्, निम्नलिखित नया विनियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

" 55क. **लेखापरीक्षा -** प्रत्येक निर्गमकर्ता लेखापरीक्षा रिपोर्ट तिमाही आधार पर, 30 सितंबर, 2003 से आरंभ होने वाली, संबद्ध स्टॉक एक्सचेंजों को अर्हित चार्टर्ड

एकाउंटेंट या व्यवसाय कर रहे कंपनी सचिव द्वारा लेखापरीक्षित, कुल निर्गमित पूंजी, सूचीबद्ध पूंजी तथा निक्षेपागारों द्वारा अभौतिक रूप में धारित पूंजी के समाधान के प्रयोजनों के लिए, तिमाही के दौरान शेयर पूंजी में परिवर्तनों के ब्यौरे और समस्त स्टॉक एक्सचेंजों जहाँ यह ऐसी अतिरिक्त निर्गमित पूंजी की बाबत सूचीबद्ध है से निर्गमकर्ता द्वारा अभिप्राप्त सैद्धांतिक अनुमोदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन लेखापरीक्षा रिपोर्ट निर्गमकर्ता के सदस्यों के रजिस्टर की अद्यतन प्रास्थिति भी देगी और पुष्टि करेगी कि प्रतिभूतियों को निर्गमकर्ता द्वारा अनुरोधों की प्राप्ति की तारीख से 21 दिनों के भीतर अनुरोधों के अनुसार अभौतिकीकृत कर दिया गया है और जहाँ अभौतिकीकरण उक्त नियत कालावधि के भीतर प्रभावी नहीं किया गया है, रिपोर्ट में ऐसे विलंब के कारण प्रकट किये जायेंगे ।

(3) निर्गमकर्ता तुरंत निक्षेपागारों और स्टॉक एक्सचेंजों के ध्यान में लायेगा, अभौतिक रूप में निक्षेपागारों द्वारा इसकी निर्गमित, सूचीबद्ध, और धारित पूंजी में संप्रेक्षित कोई अंतर ।"

[फा. सं. भाप्रविबो/विधि/16459/2003]

ज्ञानेन्द्र नाथ बाजपेयी, अध्यक्ष

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996, मूल विनियम, का.आ. सं. 345 (अ), 16 मई, 1996 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था ।

2. भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1996 तत्पश्चात् -

(क) 7 फरवरी, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 91 (अ), द्वारा

(ख) 5 सितम्बर, 1997 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1997, का.आ. सं. 640 (अ), द्वारा

(ग) 5 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 18 (अ), द्वारा

(घ) 21 जनवरी, 1998 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1998, का.आ. सं. 76 (अ), द्वारा

(ङ) 20 मई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 357 (अ), द्वारा

(च) 7 जुलाई, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (दूसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 546 (अ), द्वारा

(छ) 21 सितम्बर, 1999 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (तीसरा संशोधन) विनियम, 1999, का.आ. सं. 775 (अ), द्वारा

(ज) 26 दिसंबर, 2000 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2000, का.आ. सं. 1160 (अ), द्वारा

(झ) 29 मई, 2001 को भाप्रविबो (मध्यवर्तियों द्वारा विनिधान सलाह) (संशोधन) विनियम, 2001, का.आ. सं. 476 (अ), द्वारा

(ञ) 16 जून, 2003 को भाप्रविबो (निक्षेपागार और सहभागी) (संशोधन) विनियम, 2003, का.आ. सं. 696 (अ), द्वारा

संशोधित हुआ था ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd September, 2003

Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003

S.O. 1014(E).— In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to amend the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996, namely:-

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 2003.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the 'regulations'), -

(a) After regulation 53, the following new regulations shall be inserted, namely -

"53A. **Manner of handling share registry work -** All matters relating to transfer of securities, maintenance of records of holders of securities, handling of physical securities and establishing connectivity with the depositories shall be handled and maintained at a single point i.e. either in-house by the issuer or by a Share Transfer Agent registered with the Board.

53B. **Redressal of investor grievances -** Every issuer or its agent or any person who is registered as an intermediary under this Act, shall redress the grievances of beneficial owners within thirty days of the date of receipt of the complaint and keep the depository informed about the number and nature of grievances redressed by it and the number of grievances pending before it."

(b) In regulation 54, sub-regulation (4) shall be substituted by the following sub-regulation, namely-

"54(4). The participant shall, within seven days of the receipt of certificate of security referred to in sub-regulation (1) furnish to the Issuer details specified in sub-regulation (2) alongwith the certificate of security."

(c) In regulation 54, sub-regulation (5) shall be substituted by the following sub-regulation, namely-

"54 (5). Within 15 days of receipt of the certificate of security from the participant the issuer shall confirm to the depository that securities comprised in the said certificate have been listed on the stock exchange or exchanges where the earlier issued securities are listed and shall also after due verification immediately mutilate and cancel the certificate of security and substitute in its record the name of the depository as the registered owner and shall send a certificate to this effect to the depository and to every stock exchange where the security is listed.

Provided that in case of unlisted companies the condition of listing on all the stock exchanges where earlier issued shares are listed, shall not be applicable."

(d) After regulation 55, the following new regulation shall be inserted, namely -

"55A. **Audit** - (1) Every issuer shall submit audit report on a quarterly basis, starting from September 30, 2003, to the concerned stock exchanges audited by a qualified Chartered Accountant or a practicing Company Secretary, for the purposes of reconciliation of the total issued capital, listed capital and capital held by depositories in dematerialized form, the details of changes in share capital during the quarter and the in-principle approval obtained by the issuer from all the stock exchanges where it is listed in respect of such further issued capital.

(2) The audit report under sub-regulation (1) shall also give the updated status of the register of members of the issuer and confirm that securities have been dematerialized as per requests within 21 days from the date of receipt of requests by the issuer and where the dematerialization has not been effected within the said stipulated period, the report shall disclose the reasons for such delay.

(3) The issuer shall immediately bring to the notice of the depositories and the stock exchanges, any difference observed in its issued, listed, and the capital held by depositories in dematerialised form."

[F. No. SEBI/LE/16459/2003]

G. N. BAJPAI, Chairman

Foot note:

1. **Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants Regulations, 1996, the principal regulations was published in the Gazette of India on May 16, 1996, vide No. S.O. 345(E).**

2. **SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996 was subsequently amended –**

   (a) **On February 7, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 91(E).**

   (b) **On September 5, 1997 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1997 vide No. S.O. 640 (E).**

   (c) **On January 5, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1998 vide No. S.O. 18(E).**

(d) On January 21, 1998 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations 1998 vide No. S.O. 76 (E).

(e) On May 20, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 1999 vide S.O. 357 (E).

(f) On July 7, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Second Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 546 (E).

(g) On September 21, 1999 by SEBI (Depositories and Participants) (Third Amendment) Regulations, 1999 vide No. S.O. 775 (E).

(h) On December 26, 2000 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2000 vide No. S.O. 1160 (E).

(i) On May 29, 2001 by SEBI (Investment Advice by Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2001, vide No. S.O. 476(E).

(j) On June 16, 2003 by SEBI (Depositories and Participants) (Amendment) Regulations, 2003, Vide S. O. 696(E).

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.